

न्यायालय, धनबाद

३१-११२०/-

श्री हफीजुल्ला अंसारी (मंटे) पिता
ग्राम लोन्वाडा थाना तापचौन्नी
जिला धनबाद के खान्ना सं. - 4/2013-14 में मजदूरी मुकदमा पर आदेशों की भा. रा. 1977
वसूली हेतु अधियाचन पत्र दायर किया है। इनमें संलग्न विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है
कि यह मांग वसूली योग्य है। इसकी वसूली विधि वर्जित नहीं है। लोक माँग वसूली अधिनियम का
धारा 5 के अंतर्गत में संतुष्ट हूँ। इसे पंजी 10 में दर्ज करें। अविभा. चं. प्रवृत्त विकास
पहाड़िया तापचौन्नी (खनकाह) मनरेगा

आमलेख उप। एच। प्रो।
का पत्र मिलान है उ (एच. प्रो.)
आमलेख २३/३/२५ अरवा
२४/०७/२०१९ तक / एच. प्रो.
३१० डी. प्रमाण-पत्र पदाधिकारी
एड
बिलासपुर पठनबाद।

23/3/24 अतिरिक्त उपलब्धता पर 561 व्यक्तियों को जांचा जा चुका है।
परांत 24(M) दिनांक 20/2/24 द्वारा सूचित किया गया है कि
बेनकाट द्वारा जारी किए गए 4 निर्णयों में आलाक में जुमलों
की राशी मन्तरंगा आकाशिक विषय में जमाकर दिया गया फलस्वरूप
वक्त संपन्न करने की अनुमति दी गई है।

अज्ञात राशि की कोटपाठन 13.1.2017

23/3/2019

विभाग ५९ ५६०